



बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,
7, सरदार पटेल मार्ग-पटना-15

Doc. No:- BRPNNL/HQA / C00/ 116 Dt 30/04/2026 Page No.../...

|| कार्यालय आदेश ||

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के अन्तर्गत आउट सोर्सिंग (बेल्ड्रॉन से सेवा प्राप्त) के माध्यम से कार्यरत महिला कर्मियों को प्रत्येक माह में 02 (दो) लगातार दिनों का विशेष अवकाश अन्य नियमित महिला कर्मियों की भाँति दिया जाता है।

2. विशेष अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार उन पदाधिकारियों को होगा, जिन्हे वर्तमान नियम के अनुसार आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का शक्ति प्रदत्त है।

3. यह अवकाश प्रत्येक माह में दो लगातार दिनों के लिए एक ही बार अनुमान्य होगा और इसके साथ आकस्मिक अवकाश देय नहीं होगा।

4. विशेष अवकाश के उपभोग हेतु आवेदन/सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा।

5. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित महिला कर्मी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना

ज्ञापांक-1062...../पटना, दिनांक-30/04/2026.....

प्रतिलिपि:- सभी उप मुख्य अभियन्ता/सभी वरीय परियोजना अभियन्ता/वरीय गुण नियंत्रण कोषांग, पटना/वरीय योजना अभियन्ता, योजना प्रमंडल, पटना/सचिव (कम्पनी-कार्य)/सचिव (प्र०-अप्र०) एवं बेवसाईट प्रभारी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थापित।

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०,पटना।

30.04.2026